

close

ब-अदालत अनुमंडल दण्डाधिकारी, महागामा।

क्रि०मि० केश नं०-241/2017-18

शेख सलीम बनाम् जहुरन (खुर्शीद आलम)

धारा-145 द०प्र०स०

:- आदेश :-

18/11/25

अभिलेख उपस्थापित। RCMS Portal के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि क्रि०मि०केश नं०-241/2017-18 शेख सलीम बनाम् जहुरन (खुर्शीद आलम) से संबंधित अभिलेख सामान्य न्यायालय से संबंधित है, परन्तु भूल वस RCMS Portal में Entry हो गया है।

अतः उक्त वाद से संबंधित अभिलेख सामान्य न्यायालय में अंतरित करते हुए RCMS Portal से हटाया जाता है।


अनुमंडल दण्डाधिकारी
महागामा।


अनुमंडल दण्डाधिकारी
महागामा।